न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री रोहित कुमार , आर.ए.एस

मुकदमा नं0 राजस्व वाद 218/2018

वादी :-

छोगसिंह पुत्र मुकनसिंह आयु 64 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी पटाऊ खुर्द, तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1.नेमसिंह पुत्र गुणेशसिंह
2.पुखराजसिंह पुत्र गुणेशसिंह
3.चैनसिंह पुत्र गुणेशसिंह
4.पेपकंवर बेवा गुणेशसिंह सभी जाति राजपुरोहित, निवासीयान पटाऊ खुर्द, तह0 पचपदरा जिला बाडमेर
5 शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक,शाखा पचपदरा तह. पचपदरा
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर

उपस्थित :- श्री करणसिंह सोलंकी वकील वादी
श्री जुंजाराम वकील प्रतिवादी 1 से 4

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय दिनांक :- 27.10.2020

वादी की और से प्रस्तुत वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी तथा उसके सगे बडे भाई स्व. गुणेशसिंह की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम पटाऊकला, तहसील पचपदरा में स्थित है। इस कृषि भूमि के खसरा नं. 113 क्षेत्रफल 132.09 बीघा तथा खसरा नं0 159 क्षेत्रफल 73.16 बीघा कुल क्षेत्रफल 206.05 बीघा है। खसरा नं 113 की 18 विस्वा भूमि रास्ता में दर्ज की गई है किंतु रास्ते का क्षेत्रफल 18 विस्वा भी खातेदारी में ही रखे जाने के आदेश है। चालू जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 तक की प्रमाणित प्रति वादपत्र के संलग्न प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 वादी के सगे बडे भाई स्व. गुणेशसिंह के पुत्र है तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 वादी के बडे भाई स्व. गुणेशसिंह के पुत्र है तथा प्रतिवादीगण सं. 4 पेंपकंवर वादी के बडे भाई स्व. गुणेशसिंह की धर्मपत्नी है वादी के बडे भाई श्री गुणेशसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। श्री गुणेशसिह के निधन के पश्चात् उनके 1/2 हिस्से के उत्तराधिकारी प्रतिवादी सं. 1 से 4 है। प्रतिवादीगण संख्या 4 का हिस्सा शाखा एस.बी.बी जे पचपदरा में रहन रखे होने का उल्लेख जमाबंदी में होने तथा इस शाखा का विलय भारतीय स्टेट बैंक में हो जाने से प्रतिवादी संख्या 5 को पक्षकार प्रतिवादी बनाया है। प्रतिवादी संख्या – 6 भूमिधारी होने से उन्हे पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। ग्राम पटाऊकला की उक्त कृषि भूमि खं.न. 113, 159 कुल क्षेत्रफल 206.05 बीघा शुरू से वादी तथा वादी के बडे भ्राता गुणेशसिंह के संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी, इसकी पुष्टि हेतु नामांतरकरण सं. 63 की प्रमाणित प्रति संलग्न है। इस नामांतरकरण को दर्ज करते समय वादी अल्पवयस्क था एवं वादी के बडे भाई स्व. गुणेशसिंह ही घर के कर्ता–धर्ता थें।

पृष्ठ संख्या 2 पर लगातार...

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

श्री गुणेशसिह ने राजंस्व कर्मचारियों से मिलकर इस संपूर्ण आरजी से वादी का नाम हटाकर, वादी का 1/2 हिस्सा उसकी माता स्व. चूनकंवर बेवा मुकनसिंह के नाम तथा गुणेशसिंह का 1/2 हिस्सा उनकी पत्नि पेंपकंवर के नाम दर्ज करवा दिया । इस नामांतरकरण में माफिक मौके के काबिज होने का उल्लेख कर राजस्व कर्मचारियों ने विधि विरूध ही अल्पवयस्क खातेदार– वादी का नाम रेकर्ड से हटाने की कार्यवाही की व सरपंच उमरलाई द्वारा भी अवैध तरीक से नामांतरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही की है। यह संपूर्ण कार्यवाही बिना किसी न्यायालय के आदेश और लिखित दस्तावेज के की गई है, तथा इस कार्यवाही से तत्समय अल्पवयस्क वादी के खातेदारी अधिकारो को अवैध रूप से हटाने की कार्यवाही की गई है, जो शुरू से ही अवैध, विधि विरूध व प्रभावशुन्य होने से निरस्त योग्य है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा जो उसकी माता चूनकंवर के नाम दर्ज किया गया था, उनके निधन के पश्चात् नामांतरकरण सं. 202 द्वारा पुनः गणेशसिंह व वादी के नाम 1/2 – 1/2 दर्ज किया गया तथा श्री गुणेशसिह के निधन होने के पश्चात् उनके तीन पुत्रों प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया तथा वादी का शुरू से 1/2 हिस्सा होते हुए भी वादी का हिस्सा 1/2 के स्थान पर 1/4 दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी व उसके भाई स्व. गुणेशसिंह का बराबर हक हिस्सा होते हुए स्व. गुणेशसिंह के उत्तराधिकारीगण का 3/4 हिस्सा तथा मुझ वादी का 1/2 हिस्सा होते हुए 1/4 हिस्सा गलत व विधि विरूध कार्यवाही से अभिलेख में प्रविष्टियां दर्ज की गई है। वादी ने अपने भाई व उनकी पत्नि को रेकर्ड ठीक करवाने का आग्रह किया तो वे आश्वासन देते रहे। गुणेशसिंह के निधन के पश्चात प्रतिवादी सं 1 से 4 को भी कई बार इस हेतु अनुरोध किया तो वे भी आश्वासन देते रहे, किन्तु दिनांक 02.09.2018 को ग्राम पटाऊ खुर्द में कतई इंकार हो गये, जिससे यह वाद लाना आवश्यक हुआ है। उक्त आराजी भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा घोषित कर इसी प्रकार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां दर्ज करने का आदेश करावें, व उक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 से 4 का सयुंक्त 1/2 हिस्सा दर्ज कर अभिलेख मे दुरूस्ती करने के आदेश प्रदान करावें।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

वादी का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को दिनांक 16.10.2018 को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 जो स्व. गुणेशसिंह के उत्तराधिकारी है की और से उनके वकील ने जबाब दिनांक 23.7.2019 को पेश किया जिसमें वादपत्र के सभी तथ्य सही होना स्वीकार कर यह जाहिर किया कि ग्राम पटाउ कला तहसील पचपदरा के कृषि भूमि के खसरा नं. 113 क्षेत्रफल 132.09 बीघा तथा खसरा नं0 159 क्षेत्रफल 73.16 बीघा कुल क्षेत्रफल 206.05 बीघा भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा घोषित किया जाकर इसी प्रकार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां दर्ज करने के आदेश तथा उक्त आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का संयुक्त 1/2 हिस्सा दर्ज कर अभिलेख को दुरूस्त किया जावे तो हम प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 5 बावजूद तामिल के अनुपस्थित होने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वादी द्वारा वाद के समर्थ में अभिलेखीय साक्ष्य प्रदर्श–1 खसरा संख्या 113, 159 ग्राम पटाउकला की जमाबंदी, प्रदर्श –2 नक्शा, प्रदर्श –3 नामान्तरकरण संख्या 63, प्रदर्श –4 नामान्तरकरण संख्या 202, प्रदर्श –5 नामान्तरकरण संख्या 412 प्रस्तुत कर प्रदर्शित

पृष्ठ संख्या 3 पर लगातार...

Scanned with CamScanner

करवाएं। वादी ने उक्त अभिलेखीय साक्ष्य के अलावा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू. –1 छोगसिहं के ब्यान कलमबद्व करवाएं जिसमें अपने ब्यान में वाद के सभी तथ्यों का समर्थन किया है तथा प्रस्तुत रेकर्ड को प्रदर्शित किया है।

हमने प्रस्तुत पत्रावली, अभिलेख तथा मौखिक साक्ष्य का गौर से अवलोकन किया । वादी व प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया । ग्राम पटाऊकला, तहसील पचपदरा कृषि भूमि के खसरा नं. 113 क्षेत्रफल 132.09 बीघा तथा खसरा नं0 159 क्षेत्रफल 73.16 बीघा कुल क्षेत्रफल 206.05 बीघा की कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह पुष्टि होती है की ग्राम पटाऊकला, तहसील पचपदरा कृषि भूमि के खसरा नं. 113 क्षेत्रफल 132.09 बीघा तथा खसरा नं0 159 क्षेत्रफल 73.16 बीघा कुल क्षेत्रफल 206.05 बीघा भूमि शुरू से वादी तथा वादी के बडे भ्राता गुणेशसिंह के संयुक्त खातेदारी के दर्ज थी इसकी पुष्टि हेतु नामान्तरकरण संख्या 63 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श –3 संलग्न पेश है। इस नामान्तरकरण को दर्ज करते समय इस सम्पूर्ण आराजी से वादी का नाम हटा कर वादी का 1/2 हिस्सा उसकी माता स्व. चूनकंवर बेवा मुकनसिंह के नाम तथा गुणेंश सिहं का 1/2 हिस्सा उनकी पत्नी पेपकंवर के नाम दर्ज कर दिया । इस नामान्तकरण में माफिक मौके के काबिज होने का उल्लेख कर विधि विरूद्व ही खातेदार वादी का नाम रेकर्ड से हटाने व सरपंच उमरलाई द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही की गई है, जो न्यायोचित नही होने से निरस्त योग्य है ।

वादग्रस्त आराजी ग्राम पटाऊकला, तहसील पचपदरा के खसरा नं. 113 क्षेत्रफल 132.09 बीघा तथा खसरा नं0 159 क्षेत्रफल 73.16 बीघा कुल क्षेत्रफल 206.05 बीघा की कृषि भूमि में वादी का आरम्भ से 1/2 हिस्सा है, जिस पर वह आज तक काबिज है व काश्त करता आ रहा है, जिस भूमि का शेष 1/2 हिस्सा स्व. गुणेशसिंह के उत्तराधिकारीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का है व इतने हिस्से पर ही इनका संयुक्त कब्जा काश्त है जिससे दावा वादी स्वीकार योग्य है ।

उपरोक्त विस्तृत विवेचन के अनुसार वादी का दावा स्वीकार व डिक्री योग्य होने से स्वीकार व डिक्री कर मौजा पटाऊकला, तहसील पचपदरा कृषि भूमि के खसरा नं. 113 क्षेत्रफल 132.09 बीघा तथा खसरा नं0 159 क्षेत्रफल 73.16 बीघा कुल क्षेत्रफल 206.05 बीघा भूमि में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार अभिलेख में वादी का हिस्सा दर्ज किया जाएं। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्सा रेकर्ड में दर्ज किया जाकर इसी प्रकार अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर
बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा